न्यायालय ... तहसीलदार ...

उनवान – सरोज देवी बनाम मुकदमा नं विविध 79/ वर्ष 2024

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956

दिनांक	आज्ञा पत्र
11.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर आवेदन पत्र पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। तहसीलदार सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली आ.ता. पेशी दिनांक 15.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया द्वारा एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम समर्थपुरा तह. व जिला सीकर की तन में भूमि ख.नं. 667/244 अवस्थित है। प्रार्थिया द्वारा उक्त भूमि ख.नं. में से 0.0698 हैक्टर भूमि को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया गया। जिसके बाद प्रार्थिया व खातेदार में मध्य आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 21/08/2017 को किया गया व प्रार्थिया के अलग ख.नं. 870/244 रकबा 0.0698 हे. कायम किये गये। शेष भूमि का बेचान करने से अलग-2 खसरा नम्बर कायम किये गये है। सहमति से विभाजन के पश्चात राजस्व नक्शे में अंकन सहमति के अनुसार नहीं होकर त्रुटिवश गलत अंकन हो गया जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। सह खातेदारों को भी उक्त नक्शा दुरुस्त करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः आवेदन बाबत दुरुस्ती प्रस्तुत कर निवेदन है कि नक्शा दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें। प्रकरण के सम्बंध में रिपोर्ट तहसीलदार पूर्व में ही क्रमांक :- 3999 दिनांक 03/07/2024 आ चुकी है। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 870/244 रकबा 0.0698 की वर्तमान खातेदारी नगर सुधार न्यास, सीकर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इससे पूर्व में खातेदारी प्रार्थिया के नाम दर्ज है। ख.नं. 1071/1066 की खातेदारी मनोजकुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ख.नं. 1071/1066 का नक्शा से ट्रेस कीतरमीम अनुसार रकबा 0.1034 हैक्टर बनता है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रकबा 0.0905 हैक्टर है। जिसको मौका के अनुसार नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जाना है। फर्द रिपोर्ट ...

उक्त तरमीम को दुरूस्त किये जाने बाबत ख.न.
1071/1066 के खातेदार द्वारा मौका फर्द पर ~~अपनी~~ अपनी
सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र
को स्वीकार किया जाता है तथा रिपोर्ट तहसीलदार
अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति भू राजस्व
अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है।
पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर